

प्रेषक,

प्रेम प्रकाश सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्ठाहार अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 17-08-2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुदान संख्या 49 के लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक प्रायोजित सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र योजनाएं-0125-पुष्ठाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार योजना (के. 50/रा.50-के. रा0) के अन्तर्गत मानक मद-43-सामग्री में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्रांक-1102/बा0वि0परि0/लेखा/2026-27 दिनांक 11.08.2026 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-33/2026/1218/58-1-2026/001-54-2003-164-2019, (218662), दिनांक 29 अप्रैल, 2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या 49 के लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0125-पुष्ठाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार योजना के अन्तर्गत मानक मद-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में कुल प्राविधानित धनराशि ₹0 384425.97 लाख के सापेक्ष केन्द्रांश ₹0 16946.50 लाख एवं राज्यांश ₹0 16946.50 लाख अर्थात् कुल ₹0 33893.00 लाख (रुपये तीन अरब अड़तीस करोड़ तिरानवे लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या 49 के लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0125-पुष्ठाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार योजना के अन्तर्गत मानक मद-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में कुल प्राविधानित धनराशि ₹0 384425.97 लाख के सापेक्ष केन्द्रांश ₹0 38706.16 लाख एवं राज्यांश ₹0 38706.16 लाख अर्थात् कुल ₹0 77412.32 लाख (रुपये सात अरब चौहत्तर करोड़ बारह लाख बत् तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष प्रदान की जाती है:-

(1) निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार विभाग वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1 के कार्यालय जाप दिनांक 28.03.2026 एवं 26.09.2025 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(3) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य मद हेतु किया जायेगा।

(5) अवमुक्त धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। प्रश्नगत स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि से किया जायेगा।

(6) निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा योजना हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं में केन्द्रांश की धनराशि सीधे योजना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में खुले खाते में प्राप्त होगी। अतएव इन योजनाओं में प्राप्त केन्द्रांश की पुष्टि वित्त विभाग से कराये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अतः योजनान् तर्गत भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने के संबंध में निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।

(8) निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों में यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त योजना के अन्तर्गत आच्छादित सभी मदों / घटकों का उल्लेख स्पष्ट रूप से वित्तीय स्वीकृति में करते हुए SNA को प्रेषित की जायेगी तथा SNA द्वारा विभिन्न स्तरों पर (इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी तक) लिमिट आवंटित की जायेगी तथा वित्तीय स्वीकृति की प्रतिलिपि साइबर ट्रेजरी के वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

(9) निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा समस्त बिलों का परीक्षण इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी एवं जनपदीय एडमिन द्वारा किया जायेगा, अतः SNA स्तर पर पुनः परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। SNA द्वारा मात्र समेकित बिल का अग्रसारण किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 7,74,12,32,000 (रुपये सात अरब चौहत्तर करोड़ बारह लाख बत्तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 049 लेखा शीर्षक 2235021020125 पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार (के.50/रा.50-के. रा.) मानक मद 43 सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-4-101-X-2026-27- दिनांक: 17-08-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रेम प्रकाश सिंह)

संयुक्त सचिव ।

संख्या-48/2026/2694(1)-58-1-2026/002-54-2003-164-2019, तद दिनांक ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, प्रयागराज।
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. अपर निदेशक (वित्त), बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1
7. वित्त संसाधन (वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
8. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ।
9. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
10. गार्ड फाइल।

(अवनीश कुमार सिंह)

अनु सचिव ।